उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 | अंक 4 | 16-28 फरवरी 2025 | ₹ 20/-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उर्दू पर टिप्पणी से मचा बवाल

- पाकिस्तान में तालिबान के मदरसे पर आत्मघाती हमला
- बलूचिस्तान में बस से उतारकर सात पंजाबियों की हत्या
- हमास द्वारा युद्धविराम वार्ता रद्द
- उत्तर प्रदेश में फर्जी मदरसों के खिलाफ कार्रवाई

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

योगी आदित्यनाथ की उर्दू पर टिप्पणी से मचा बवाल 04
भारत और कतर के बीच के व्यापार को दोगुना करने का फैसला 07
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वक्फ विधेयक मंजूर 08
दिल्ली में नाम बदलने का अभियान 11
उत्तर प्रदेश में फर्जी मदरसों के खिलाफ कार्रवाई 12

विश्व

पाकिस्तान में तालिबान के मदरसे पर आत्मघाती हमला 14
बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच व्यापार शुरू 15
बलूचिस्तान में बस से उतारकर सात पंजाबियों की हत्या 17
पाकिस्तान से अफगानों का निष्कासन 18
अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने की संभावना 20

पश्चिम एशिया

सऊदी सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को रोजा इफ्तार करवाने की घोषणा 21
हसन नसरल्लाह को पांच महीने बाद दफनाया गया 22
हमास द्वारा युद्धविराम वार्ता रद्द 23
हिजबुल्लाह को मिलने वाली विदेशी सहायता जब्त 26
ईरान के वित्त मंत्री बर्खास्त 26

सारांश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उर्दू पर टिप्पणी से बवाल मच गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने यह मांग की थी कि उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है, इसलिए विधानसभा की कार्यवाही का अनुवाद अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेली के साथ-साथ उर्दू में भी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने यह आरोप लगाया था कि योगी सरकार अंग्रेजी को बढ़ावा देकर उर्दू को कुचल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहती है। इस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। हालांकि, मुख्यमंत्री का कहना था कि उनकी डबल इंजन की सरकार समाज के सभी वर्गों के छात्रों को उच्च और आधुनिक शिक्षा देने के लिए दृढ़संकल्प है ताकि वे वैज्ञानिक, डॉक्टर, साहित्यकार और इंजीनियर बन सकें। योगी ने कहा कि जो अभिभावक अपने बच्चों को मदरसों की दीनी शिक्षा तक ही सीमित रखना चाहते हैं वे इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन दीनी मदरसों में पढ़ने वाले छात्र आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए बिना समाज के विकास में पूरा योगदान नहीं दे सकते।

हाल ही में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भारत का दो दिवसीय दौरा किया है। उनके इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें अगले पांच सालों में दोनों देशों के सालाना व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमति हुई है। कतर में लगभग आठ लाख भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं, जो वहां की कुल जनसंख्या का एक चौथाई हिस्सा है।

पाकिस्तान का निर्माण ही नफरत के आधार पर हुआ था। यही कारण है कि वह सुनियोजित ढंग से भारत में आतंकवाद की ज्वाला भड़काने का प्रयास करता रहा है। अब स्वयं उसके देश में आतंकवाद की ज्वाला भड़क रही है। इसके कारण पाकिस्तान का अस्तित्व ही खतरे में नजर आ रहा है। ताजा आत्मघाती हमले में तालिबान के प्रवर्तक मौलाना समी उल हक के बेटे मौलाना हामिद उल हक मारे गए हैं। उनके साथ 16 अन्य लोग भी मारे गए हैं, जिनमें हामिद उल हक का बेटा भी शामिल है। यह आतंकवादी हमला तब हुआ जब मौलाना हामिद उल हक खैबर पख्तूनख्वा के अकोरा खट्टक में मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे।

बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दिन-प्रतिदिन विद्रोही गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। इन दोनों प्रदेशों में पाकिस्तान के पंजाबी सैनिक कहर ढा रहे हैं, इसलिए वहां की जनता में पंजाबियों के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान में कुछ अज्ञात हमलावरों ने क्वेटा से लाहौर जा रही एक बस को रोका और उसमें सवार सात पंजाबी यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले साल क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए एक बम धमाके में पाकिस्तानी सेना के कई दर्जन कर्मचारी मारे गए थे। इसके बावजूद पाकिस्तान के शासक सबक नहीं ले रहे हैं। अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में काम चलाऊ सरकार के साथ मिलकर भारत में आतंकवाद की ज्वाला भड़काने की साजिश रच रही है।

अमेरिका और कुछ अन्य देशों के प्रयास से गाजा में इजरायल और हमास के बीच हुए युद्धविराम का पहला चरण पूरा हो गया है। अब इसका दूसरा चरण खटाई में पड़ गया है। हमास के प्रवक्ता ने घोषणा की है कि हमास युद्धविराम के दूसरे चरण की बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि इजरायल हमास से अपने बंधकों को मुक्त करवाने के बाद गाजा में फिर से युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने उसे तीन अरब डॉलर मूल्य के सैन्य उपकरण भेजे हैं।

योगी आदित्यनाथ की उर्दू पर टिप्पणी से मचा बवाल

इंकलाब (19 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने यह मांग की कि विधानसभा की कार्यवाही का अनुवाद अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेली के साथ-साथ उर्दू में भी होना चाहिए। इस पर सदन में गरमा-गरम बहस हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू को कठमुल्लों की भाषा बताया। समाचारपत्र ने हैरानी प्रकट की है कि उर्दू का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर हमला करने के लिए उर्दू का ही इस्तेमाल किया। योगी ने विधानसभा में कहा कि “बड़ा हसीन है इनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन-चुन के बस्तियों को लूटा वही नसीबों की मारों की बात करते हैं।” मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान सभी विपक्षी दलों और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी को अपना निशाना बनाया। योगी ने कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है और उसे हटाया नहीं गया है, लेकिन विधायकों को भोजपुरी, ब्रज, अवधी व बुंदेली में भी बोलने की अनुमति दी गई है। यह किसी पर लादा नहीं गया है, बल्कि यह एक सुविधा है। इन सभी बोलियों की लिपि देवनागरी है, जो संविधान में मान्यता प्राप्त है।

इंकलाब (19 फरवरी) के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू और मुसलमानों के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने यह आरोप लगाया था कि योगी सरकार अंग्रेजी को प्रोत्साहन दे रही है और उर्दू भाषा को कुचल रही है। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र जगजाहिर है। वह देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहती है और बच्चों को मौलवी बनाना चाहती है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि जब हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहन की तरह हैं तो एक के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जबकि उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के

लोग अपने भाषणों में उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। जब उर्दू को प्रोत्साहन देने की बात आती है तो सरकार की मानसिकता बदल जाती है। रिजवी ने कहा कि सरकार उर्दू के साथ-साथ मुसलमानों के भी खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी के एक अन्य विधायक कमाल अख्तर ने भी योगी के बयान पर आपत्ति जताई है।

इंकलाब (26 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार मुस्लिम बच्चों को सिर्फ दीनी शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहती है। हम उन्हें मुल्ला और मौलवी बनाने के बजाय डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और साहित्यकार बनाना चाहते हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम बच्चे विज्ञान की शिक्षा नहीं लेंगे तब तक देश और समाज का विकास अधूरा रहेगा। योगी ने कहा कि स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके लिए डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। डबल इंजन की सरकार तमाम छात्रों को बिना किसी भेदभाव के आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार यह नहीं चाहती कि मुस्लिम बच्चे मदरसों में दी जाने वाली दीनी शिक्षा तक ही सीमित रहें, बल्कि हमारा प्रयास यह है कि वे आधुनिक शिक्षा हासिल करें और समाज के लिए लाभदायक नागरिक बनें। जो लोग अपने बच्चों को सिर्फ दीनी शिक्षा देना चाहते हैं वे उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ और अच्छा चिकित्सक बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी।

उर्दू टाइम्स (19 फरवरी) के अनुसार राजस्थान की भाजपा सरकार ने राज्य के कुछ सरकारी स्कूलों में उर्दू के बजाय संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने का आदेश दिया है। जिन सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं उनमें अब संस्कृत पढ़ाया जाएगा। यह आदेश अप्रैल 2025 से लागू होगा। राजस्थान के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा है कि कई उर्दू शिक्षकों ने फर्जी डिग्री के आधार पर राज्य में नौकरी हासिल की है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर संस्कृत की जगह उर्दू को प्रोत्साहन दिया था, जिसे अब ठीक किया जा रहा है।

सियासत (18 फरवरी) के अनुसार कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने राजस्थान सरकार के इस आदेश को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है।

एतेमाद (19 फरवरी) ने राजस्थान में उर्दू के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की निंदा की है। राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमीन कायमखानी ने कहा है कि मुसलमानों और उर्दू को बदनाम करने के लिए राज्य के गृह मंत्री उर्दू शिक्षकों पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने यह शोशा बहुसंख्यक समाज के वोटों को बटोरने के लिए छोड़ा है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (19 फरवरी) ने अपने संपादकीय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की आलोचना की है। समाचारपत्र ने कहा है कि इससे साफ हो गया है कि योगी को उर्दू और मुसलमानों से नफरत है। उनका यह बयान

महाराष्ट्र में मराठी को ही मिटाया जा रहा है। मराठी स्कूलों में ताले लग रहे हैं और मराठी बच्चे मराठी पढ़ने के बजाय अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं।

इसी समाचारपत्र ने 20 फरवरी के संपादकीय में कहा है कि सांप्रदायिक तत्वों ने एक भाषा पर भी धर्म का ठप्पा लगा दिया है। हालांकि, मुंशी प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, राजिंदर सिंह बेदी, पंडित बृज नारायण चकबस्त और रघुपति सहाय जैसे कई गैर-मुस्लिम साहित्यकार हुए हैं, जिनके बिना उर्दू साहित्य अधूरा है।

भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की भाषा में पढ़ने की छूट दी गई है।

हिंदुस्तान (22 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा मुसलमानों की तरह उर्दू को भी खत्म करने पर तुली हुई है। हैरानी की बात यह है कि उर्दू को मिटाने की लाख कोशिशों के बावजूद वह मिट नहीं रही है। जो लोग उर्दू को मिटाने का दावा करते हैं वे भी अपने भाषण उर्दू में ही देते हैं।

एतेमाद (23 फरवरी) ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुसलमानों के प्रति अपने नफरती दृष्टिकोण के कारण काफी बदनाम हैं। अब वे उर्दू को भी अपने निशाने पर ले आए हैं। अजीब बात है कि भगवा लिबास पहनने वाला व्यक्ति भी खुलेआम नफरत का प्रचार कर रहा है। हालांकि, पिछले सप्ताह लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने यह घोषणा की थी कि लोकसभा की कार्यवाही का अनुवाद उर्दू में भी करने की व्यवस्था की गई है।

उर्दू टाइम्स (24 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उर्दू को मिटाने में लगे हुए हैं। वहीं,

उर्दू टाइम्स (23 फरवरी) ने अपने संपादकीय में प्रसन्नता व्यक्त की है कि योगी के सांप्रदायिक बयान का विरोध मुसलमानों के बजाय हिंदू ज्यादा कर रहे हैं। मुसलमान इस मामले में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वे सांप्रदायिक नफरत में बढ़ोतरी नहीं करना चाहते हैं। योगी को यह भी मालूम नहीं कि उर्दू भाषा और साहित्य का कितना महत्व है। उन्हें कम-से-कम अपने गोरखपुर पर तो नजर डाल लेनी चाहिए थी, जिसने फिराक गोरखपुरी जैसे उर्दू भाषा के महान कवि को जन्म दिया है।

मुंसिफ (1 मार्च) ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी किसी न किसी बहाने सांप्रदायिकता की ज्वाला भड़काकर अपने मानसिक दिवालियापन का सबूत देते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ कम-से-कम अपने गोरखपुर का इतिहास ही पढ़ लेते तो उन्हें यह मालूम हो जाता कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में उर्दू का क्या योगदान है। दरअसल, योगी आदित्यनाथ की सोच जहरीली है और वे उर्दू की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं।

भारत और कतर के बीच के व्यापार को दोगुना करने का फैसला

एतेमाद (19 फरवरी) के अनुसार भारत और कतर ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इस संबंध में दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देश सामरिक सहयोग और पुरावशेषों के विकास में योगदान देने पर भी सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने खेल-कूद और युवा मामलों में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। इस समझौते के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव अरूण कुमार चटर्जी ने संवाददाताओं को बताया कि हम व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि अभी दोनों देशों के बीच लगभग 14 अरब डॉलर का सालाना व्यापार हो रहा है। अगले पांच सालों में इस व्यापार को दोगुना करने का फैसला किया गया है। कतर के अमीर अल थानी को राष्ट्रपति भवन में भोजन पर आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और कतर के बीच सदियों पुराने संबंधों की चर्चा की।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (19 फरवरी) के अनुसार नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कतर के अमीर अल थानी के बीच हुई बैठक में हमास-इजरायल विवाद और अफगानिस्तान समस्या सहित क्षेत्रीय व वैश्विक मामलों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने बुनियादी ढांचा, बंदरगाह, विमान निर्माण और खाद्य से संबंधित क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। कतर के अमीर के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार बढ़ाने के बारे में बातचीत की। इस बातचीत में यह सहमति बनी कि कतर निवेश प्राधिकरण भारत में पूंजी निवेश में वृद्धि करेगा। दोनों देशों के वाणिज्य और उद्योग मंत्रियों ने एक संयुक्त व्यापार मंच का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर दोनों देशों के उद्योगपतियों व अन्य संस्थानों ने व्यापार बढ़ाने पर सहमति प्रकट की। विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा कि भारत मुक्त व्यापार समझौते के बारे में खाड़ी सहयोग परिषद से भी उच्चस्तरीय बातचीत कर रहा है।

सियासत (21 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कतर के अमीर का भारत दौरा दोनों देशों के बीच मील का पत्थर साबित होगा। इससे दोनों देशों के संबंधों में नए

अध्याय की शुरुआत होगी। इस समय लगभग आठ लाख भारतीय नागरिक कतर में रह रहे हैं। ये भारतीय नागरिक दोनों देशों के बीच एक पुल के रूप में काम कर रहे हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि भारत जैसे विकासशील देश के साथ मजबूत संबंध बनाने से कतर के लिए विकास के नए क्षेत्र पैदा होंगे।

अवधनामा (19 फरवरी) ने अपने एक विशेष लेख में भारत और कतर के संबंधों पर प्रकाश डाला है। समाचारपत्र ने कहा है कि 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कतर का दौरा किया था। जबकि 2024 में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कतर का दौरा किया था। इसके अतिरिक्त हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी कतर का दौरा कर चुके हैं। कतर में इस समय 19 भारतीय स्कूल और एक भारतीय विश्वविद्यालय चल रहा है। योग दिवस के अवसर पर कतर में विशेष समारोह आयोजित किया जाता है। वहां पर खोले गए योग केंद्रों में तीन हजार से अधिक लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वक्फ विधेयक मंजूर

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (28 फरवरी) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जबकि सरकार का दावा है कि वर्तमान वक्फ कानून में इसलिए संशोधन किया गया है ताकि वक्फ संपत्ति को संरक्षित किया जा सके, उसे अवैध कब्जों से मुक्त करवाया जा सके और उससे होने वाली आय का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए किया जा सके। इससे पहले संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने 13 फरवरी को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर विधेयक का नया प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा से स्वीकृति मिलने के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाएगा। इस विधेयक में वक्फ संपत्ति में पारदर्शिता लाने और विसंगतियों को दूर करने पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में राज्यों के वक्फ

बोर्डों की जिम्मेवारियों को भी स्पष्ट किया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द कानून का रूप देना चाहती है ताकि वक्फ संपत्तियों को माफिया कब्जे से मुक्त किया जा सके और इसका मुस्लिम समुदाय के विकास व कल्याण हेतु इस्तेमाल किया जा सके।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने आरोप लगाया है कि सरकार इस कानून की आड़ में मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहती है। देश के मुसलमान इस साजिश का पूरी ताकत से विरोध करेंगे। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अगर यह विधेयक संसद में पारित हो गया तो इसके खिलाफ जनजागरण अभियान चलाया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

औरंगाबाद टाइम्स (2 मार्च) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, विपक्षी दलों और अन्य सभी मुस्लिम संगठनों ने जेपीसी के समक्ष यह मांग रखी थी कि सरकार ने जो वक्फ (संशोधन) विधेयक तैयार किया है उसका लक्ष्य मुसलमानों की वक्फ संपत्ति को हड़पना और उसे तबाह करना है। यह सत्तारूढ़ गिरोह की एक घिनौनी साजिश है, इसलिए इसे वापस लिया जाए। हालांकि, मुसलमानों की इस मांग के बावजूद सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि हम सरकार के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ मैदान में आएं। इलियास ने कहा कि इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और बिहार के पटना में भी प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके साथ ही इन दोनों प्रदेशों में सत्तारूढ़ दलों से आग्रह किया जाएगा कि वे अपने सेक्युलर सिद्धांतों का पालन करते हुए मोदी सरकार पर यह दबाव डालें कि वह इस मुस्लिम विरोधी विधेयक को सदन में पेश न करे और इसे वापस ले ले।

कौमी तंजीम (3 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सरकार मुस्लिम वक्फ को हड़पने पर तुली हुई है। खास बात यह है कि एनडीए में शामिल गैर-भाजपा पार्टियां भी चोर दरवाजे से इस विधेयक का समर्थन कर रही हैं। सवाल यह उठता है कि क्या ये पार्टियां संसद में भी इस विधेयक का समर्थन करेंगी या मुसलमानों की मांग को देखते हुए अपने रूख में परिवर्तन करेंगी? समाचारपत्र ने कहा है कि विपक्षी दल, मुस्लिम संगठन और सिविल सोसाइटी के लोग इस प्रस्तावित विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

हिंदुस्तान (3 मार्च) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इससे पहले बाबरी मस्जिद और तीन तलाक जैसे मामलों में असंवैधानिक हस्तक्षेप करके मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़क चुकी है। मुस्लिम विरोधी भाजपा ने भारतीय मुसलमानों के आपसी मतभेदों को हवा देकर उसका लाभ उठाया और मुसलमानों की

अलग पहचान को समाप्त करने का अभियान छेड़ दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमानों के धार्मिक नेतृत्व ने बाबरी मस्जिद के मामले में यह कहकर आत्मसमर्पण कर दिया था कि अदालत जो भी फैसला देगी उसे मुसलमान स्वीकार कर लेंगे। भाजपा ने पूरी मक्कारी के साथ देश की सबसे बड़ी अदालत का नाजायज इस्तेमाल किया और उससे राम मंदिर के पक्ष में फैसला करवा लिया। अजीब बात है कि अदालत ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की, लेकिन किसी भी मुस्लिम संगठन ने इस फैसले का विरोध नहीं किया। इसके कारण मुस्लिम दुश्मन संघ परिवार और भाजपा के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने मुस्लिम विरोधी फैसलों को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया।

समाचारपत्र ने कहा है कि अब केंद्र की मोदी सरकार वक्फ कानून में हस्तक्षेप करके मुसलमानों को वक्फ संपत्ति से वंचित करने की साजिश कर रही है। विपक्ष ने संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक का विरोध किया था। इसके कारण सरकार को जेपीसी का गठन करने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मूकदर्शक बना रहा और सरकार ने इसका पूरा लाभ उठाया। जेपीसी की बैठक में हंगामे होते रहे और सत्तारूढ़ दल व विपक्ष के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सांप्रदायिकता का प्रदर्शन करते हुए विपक्ष के सभी संशोधनों को खारिज कर दिया। समाचारपत्र का कहना है कि सरकार को यह समझने की जरूरत है कि यह विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं है, बल्कि यह इस्लामिक शरिया में हस्तक्षेप के खिलाफ विरोध है। मुसलमान अपने शरिया कानून में किसी भी हस्तक्षेप को सहन नहीं करेंगे।

औरंगाबाद टाइम्स (28 फरवरी) के अनुसार वक्फ विधेयक पर बढ़ते विरोध के बीच राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में

कहा है कि मस्जिद वक्फ की परिभाषा के अंतर्गत आती है और इससे संबंधित विवादों का निपटारा सिर्फ वक्फ न्यायाधिकरण ही कर सकता है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 'वक्फ बाय यूजर' के सिद्धांत को मान्यता दी है, जिसे प्रस्तावित वक्फ (संशोधन) विधेयक में रद्द करने की कोशिश की गई है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिद का निर्माण वक्फ कानून के अंतर्गत आता है और इसे संविधान में मान्यता दी गई है, इसलिए इसके बारे में फैसला करने का अधिकार सिर्फ वक्फ न्यायाधिकरण को ही है। समाचारपत्र के अनुसार राजस्थान के फलौदी जिले के एक न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि इस अचल संपत्ति को वक्फ रजिस्टर में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए इसके बारे में अदालत को विचार करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के इस फैसले को रद्द करते हुए कहा है कि मस्जिद धार्मिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह है, इसलिए इसके बारे में कोई भी मुकदमा वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा ही निपटारा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के न्यायाधीश बीरेन्द्र कुमार की एकल पीठ ने 20 फरवरी को फलौदी जिले के कालरा गांव में स्थित मदीना जामा मस्जिद से संबंधित एक मुकदमे के सिलसिले में फैसला दिया था। यह मस्जिद गांव के मुसलमानों के सहयोग से बनाई गई थी। इस मस्जिद की

मिल्कियत को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। अब उच्च न्यायालय ने वक्फ कानून की धारा 85 (सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक) का हवाला देते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय या कोई अन्य प्राधिकरण वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों को 1995 के अधिनियम के तहत स्थापित न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

दिल्ली में नाम बदलने का अभियान

इंकलाब (28 फरवरी) के अनुसार भाजपा ने दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते ही सदियों पुराने मुस्लिम नामों को बदलने का अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में दिल्ली में कम-से-कम तीन स्थानों के नाम बदलने की मांग की गई है। नजफगढ़ से भाजपा विधायक नीलम पहलवान ने सदन में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की। जबकि आरके पुरम से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम करने की मांग की है। इससे पहले मुस्तफाबाद से भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने भी मुस्तफाबाद का नाम बदलने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी या शिव विहार किया जाए। उन्होंने कहा था कि सिर्फ 42 प्रतिशत लोग ही मुस्तफाबाद के पक्ष में हैं। जबकि 58 प्रतिशत लोग इसका नाम बदलने के पक्ष में है।

नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग करते हुए नीलम पहलवान ने कहा कि जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ पर कब्जा किया था तो स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था, लेकिन उसने नजफ खान को जबरन इस क्षेत्र का गवर्नर बना दिया था। उन्होंने कहा कि शाह आलम का सेनापति नजफ खान ईरान का रहने वाला था, इसलिए उसने वहां पर एक सीमावर्ती चौकी का निर्माण करवाया और अपने नाम पर इस क्षेत्र का नाम नजफगढ़ रख दिया ताकि हमलावरों को राजधानी में प्रवेश करने

से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजा नाहर सिंह ने भाग लिया था, इसलिए इसका नाम नाहरगढ़ किया जाए।

एतेमाद (1 मार्च) ने अपने संपादकीय में दिल्ली के तीन स्थानों के नाम बदलने की मांग की आलोचना की है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि भाजपा जहां पर भी सत्ता में आती है वहां पर वह पुराने नामों को बदलने की राजनीति शुरू कर देती है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने नाम बदलने की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शराब घोटाले से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करके उस पर चर्चा करवाने के बजाय भाजपा के विधायक अपने धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नवगठित भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए भाजपा ने विधानसभा सत्र में कोई कदम नहीं उठाया। देवेन्द्र यादव ने पूछा कि क्या भाजपा की बी टीम आम आदमी पार्टी के काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए नाम बदलने के मामले को उछाला जा रहा है?

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि भाजपा की यह पुरानी नीति है कि मुस्लिम शासकों के नाम पर रखे गए नामों को मिटा दिया जाए और देश के इतिहास में मुसलमानों के योगदान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए। यह हकीकत है कि जिन क्षेत्रों के नाम बदले गए हैं वहां की जनता के जीवन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। इसका इतिहास विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विभिन्न जातियों से जुड़ा हुआ है। भाजपा इस बहुआयामी संस्कृति को खत्म करना चाहती है।

उत्तर प्रदेश में फर्जी मदरसों के खिलाफ कार्रवाई

सियासत (17 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 219 मदरसे फर्जी पाए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने बताया कि अब तक 79 मदरसों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जबकि शेष मदरसों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2022 में यह शिकायत मिली थी कि उत्तर प्रदेश के हजारों फर्जी मदरसे सरकार को धोखा देकर करोड़ों रुपये का अनुदान ले रहे हैं। इस खुलासे के बाद सरकार ने राज्य के फर्जी मदरसों का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जिले के मदरसों की जांच की जा रही है। सबसे ज्यादा 11 मुकदमे फूलपुर थाने में दर्ज किए गए हैं। ये मदरसे सिर्फ कागजों में थे और इनके प्रबंधकों ने फर्जी तरीके से सरकार से अनुदान लिया था।

उर्दू टाइम्स (3 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर 90 मदरसों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने कहा है कि हमें यह शिकायत

मिली थी कि बहराइच जिले में कई फर्जी मदरसों के प्रबंधक सरकार को धोखा देकर करोड़ों रुपये का अनुदान ले रहे हैं। इस पर सरकार ने इन मदरसों की जांच शुरू कर दी थी और उनसे रिकॉर्ड मांगा गया था। मिश्रा ने बताया कि इस समय बहराइच जिले में 301 मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 90 मदरसों ने सरकार के पास अपना रिकॉर्ड जमा नहीं कराया है, इसलिए उनकी मान्यता को रद्द करने का फैसला किया गया है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इंकलाब (27 फरवरी) के अनुसार अदालत के निर्देश पर अब उत्तर प्रदेश सरकार को जौनपुर जिले के मछलीशहर स्थित मदरसा फैजानुल उलूम को सरकारी अनुदान देना होगा। इस फैसले के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को उन सभी मदरसों को अनुदान देना होगा, जिन्हें राज्य सरकार ने अनुदान देने से इंकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद राज्य के मदरसों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। मायावती के शासनकाल में सरकार ने यह फैसला किया था कि नए स्थापित 246 मदरसों को सरकारी अनुदान मिलेगा। मायावती सरकार ने 100 मदरसों को अनुदान देने की शुरुआत की थी। बाद में समाजवादी पार्टी ने 100 और मदरसों को अनुदान देने का फैसला किया था। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद सरकार ने इन मदरसों को अनुदान देने से इंकार कर दिया था।

सरकार के इस फैसले के खिलाफ मछलीशहर स्थित इस मदरसा के प्रबंधकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अदालत ने 5 फरवरी 2020 को सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह मदरसों को अनुदान दे। सरकार ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर 2024 को खारिज कर दिया था। इसके बाद सरकार ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को कोई राहत नहीं दी। इसके कारण मंत्रिमंडल की हाल की बैठक में सरकार को मजबूरन मदरसे को अनुदान देने का फैसला करना पड़ा। इस मदरसे के प्रबंधक मोहम्मद अली अख्तर ने संवाददाताओं को बताया कि इस मामले में वे 2015 से विभिन्न अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक विभाग और उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अनुदान देने में कोई न कोई अड़चन डाल देता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के कारण सरकार को 246 मदरसों को सरकारी अनुदान देना होगा।

पाकिस्तान में तालिबान के मदरसे पर आत्मघाती हमला

अवधनामा (1 मार्च) के अनुसार रमजान का पवित्र महीना शुरू होते ही पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के अकोरा खट्टक स्थित मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया पर आत्मघाती हमला हुआ है। इस धमाके में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एस) के प्रमुख मौलाना हामिद उल हक हक्कानी सहित 16 नमाजियों की मौत हो गई है। इस हमले में हामिद उल हक का बेटा भी मारा गया है। बाद में मौलाना हामिद उल हक और उनके बेटे को तालिबान के प्रवर्तक और हामिद उल हक के पिता मौलाना समी उल हक की कब्र के नजदीक दफना दिया गया। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर रूसी कब्जे के बाद वहां से लगभग 50 लाख शरणार्थी भागकर पाकिस्तान चले गए थे। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी के इशारे पर जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एस) का गठन किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस महानिरीक्षक जुल्फिकार हमीद ने पुष्टि की है कि यह एक आतंकवादी हमला था और हमलावर ने सुनियोजित ढंग से मौलाना हामिद उल हक को तब निशाना बनाया जब वे इस मदरसे में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दारुल उलूम हक्कानिया में नमाजियों की हत्या को एक घृणात्मक कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा है कि रमजान के पवित्र महीने में बेगुनाह नमाजियों को हिंसा का निशाना बनाने वाले आतंकवादी इस्लाम, मिल्लत, पाकिस्तान और मानवता के दुश्मन हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने देश की सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया है कि इस हमले की साजिश रचने वालों का हर कीमत पर पता लगाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने इस हमले के बाद की स्थिति पर विचार-विमर्श के लिए मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में पाकिस्तान की विभिन्न गुप्तचर एजेंसियों के प्रमुखों को भी बुलाया गया।

जंग (2 मार्च) के अनुसार जांच एजेंसियों के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि

घटनास्थल से हमलावर की एक हथेली बरामद हुई है। इस हथेली को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। इसकी वैज्ञानिक जांच से यह पता लगेगा कि हमलावर कौन था और कहां का रहने वाला था?

कौमी तंजीम (1 मार्च) के अनुसार मौलाना हामिद उल हक हक्कानी का जन्म 26 मई 1968 को खैबर पख्तूनख्वा के अकोरा खट्टक में हुआ था। वे 2002-2007 तक पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली के सदस्य रहे। 2018 में उनके पिता समी उल हक एक आतंकवादी हमले में मारे गए। इसके बाद हामिद उल हक को दारुल उलूम हक्कानिया और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एस) का प्रमुख बनाया गया।

एतेमाद (1 मार्च) के अनुसार मरने वालों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कई घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। नौशेरा के उपायुक्त इरफान उल्लाह महसूद ने बताया कि मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे से यह जानकारी मिली है कि हमलावर नमाज अदा करने के बहाने मस्जिद में दाखिल हुआ था। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद पूरे खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है और देशभर के मुसलमानों से अपील की गई है कि वे घायलों की जान बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान करें।

जंग (1 मार्च) के अनुसार मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया पर हुए हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश में देशभर के 162 स्थानों पर छापे मारे गए हैं। ये छापे लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल, बहावलनगर, रावलपिंडी, चिनियट, मियांवाली, साहीवाल, शेखूपुरा, बहावलपुर और हाफिजाबाद में मारे गए हैं। आतंकवाद निरोधक विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि एक पड़ोसी देश के इशारे पर आतंकवादी पूरे पाकिस्तान में सीरियल बम विस्फोट करने की तैयारी कर रहे थे। जियो टीवी के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने रमजान के मौके पर देश की सभी मस्जिदों और इमामबाड़ों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। 75 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों को देशभर की मस्जिदों और इमामबाड़ों पर तैनात किया गया है। पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक उस्मान अनवर ने कहा कि लाहौर की मस्जिदों, इमामबाड़ों और बाजारों की सुरक्षा के लिए पांच हजार सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। लाहौर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि आतंकवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके।

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच व्यापार शुरू

कौमी भारत (24 फरवरी) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के साथ सीधा व्यापार शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के खाद्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अगले महीने बांग्लादेश पाकिस्तान से 50 हजार टन चावल खरीद रहा है। गौरतलब है कि शेख हसीना सरकार के खात्मे के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों में तेजी से सुधार हो रहा है। बांग्लादेश की

लिए चलाया गया है। बांग्लादेश के गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी ने दावा किया है कि पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में डकैती की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए सरकार विरोधी तत्वों और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पिछले दो सप्ताह में 8600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चौधरी ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा।

कार्यवाहक सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से दो बार मुलाकात कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के उच्च सैन्य अधिकारियों ने भी एक दूसरे देश का दौरा किया है। बांग्लादेश सरकार की प्रवक्ता अमीना मोहसिन ने अरब न्यूज को बताया कि भारत के साथ संबंधों में तनाव आने के बाद अब हम पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार कर रहे हैं। अमीन ने कहा कि इन दिनों बांग्लादेश में खाद्यान्न की कमी है। इसे दूर करने के लिए हमने पाकिस्तान से चावल, गेहूं और अन्य खाद्य पदार्थ मंगवाने का फैसला किया है। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार हो, क्योंकि इससे बांग्लादेश में मूल्य वृद्धि को रोकने में सहायता मिलेगी।

इंकलाब (26 फरवरी) के अनुसार बांग्लादेश में ऑपरेशन 'डेविल हंट' के तहत सेना ने आठ हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार किए गए अधिकांश लोग शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग से जुड़े हैं। हालांकि, सरकारी तौर पर यह दावा किया गया है कि गिरफ्तारियों का यह अभियान देश में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के

सियासत (20 फरवरी) के अनुसार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऑनलाइन भाषण देते हुए कहा है कि वे जल्द ही बांग्लादेश वापस आएंगी और नागरिकों के उत्पीड़न करने वालों से बदला लेंगी। शेख हसीना पिछले वर्ष जुलाई महीने में छात्र आंदोलन के दौरान मारे गए पुलिस अधिकारियों की विधवाओं से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने कहा कि विदेशियों के इशारे पर मुझे सत्ता से हटाने की कोशिश गई, इसलिए मुझे बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे देशवासियों का खून बहे। उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार ने दंगाई तत्वों को देश में अराजकता फैलाने की खुली छूट दे दी है। हसीना ने कहा कि मैं वापस आकर सबको न्याय दिलाऊंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अराजक तत्वों ने विदेशियों के इशारे पर बांग्लादेश में 450 पुलिस थानों पर हमला करके उनमें आग लगा दी थी। इस पूरी साजिश के पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ था। हसीना ने कहा कि मैं फिर से सत्ता में आऊंगी और मोहम्मद यूनुस व अन्य अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमे चलाऊंगी। उनकी इस धमकी पर टिप्पणी करते हुए बांग्लादेश के गृह

मंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह है कि शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश लाकर उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया जाए।

सहाफत (25 फरवरी) के अनुसार बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटने वाले प्रमुख छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है और अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे इस नए राजनीतिक दल के संयोजक होंगे। कार्यवाहक सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि बांग्लादेश में चुनाव नए संविधान के तहत ही होंगे। देश के संविधान में संशोधन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसने अभी तक सरकार को अपनी सिफारिशें नहीं दी हैं। इन सिफारिशों के मिलने के बाद ही देश के संविधान में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष देश में चुनाव करवाए जा सकते हैं।

बलूचिस्तान में बस से उतारकर सात पंजाबियों की हत्या

कौमी भारत (20 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने क्वेटा से लाहौर जा रही एक बस को रोककर उसमें सवार सात पंजाबी यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना बरखान जिले में हुई है। ईरान और अफगानिस्तान से लगा हुआ यह क्षेत्र पिछले दस सालों से बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच युद्ध का मैदान बना हुआ है। क्वेटा के उपायुक्त वकार खुर्शीद आलम ने बताया कि कुछ सशस्त्र हमलावरों के एक गिरोह ने सड़क पर जा रही एक बस को रोका और उसमें सवार लोगों के पहचानपत्र देखने लगे। इसके बाद हमलावरों ने सात पंजाबी यात्रियों को एक लाइन में खड़ा करके उन्हें गोली मार दी। बलूचिस्तान के पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया, लेकिन हमलावर फरार हो गए। इससे कुछ दिन पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के हमलावरों ने कोयला खदान मजदूरों को ले जा रहे एक वाहन पर हमला करके 11 मजदूरों की हत्या कर दी थी। जबकि छह लोग घायल हो गए थे। पुलिस महानिरीक्षक ने संवाददाताओं को बताया कि बलूच विद्रोही पुलिस थानों, सैन्य चौकियों और आम यात्रियों को निशाना बना रहे हैं। बीएलए के एक प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि इस हमले को अंजाम देने वाले लोग बीएलए से जुड़े हुए थे।

सहाफत (16 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर सेना ने डेरा इस्माइल खान के हथला क्षेत्र में आतंकवादियों के एक कैंप पर धावा बोला। इस कार्रवाई में नौ आतंकवादी मारे गए। जबकि दूसरा ऑपरेशन उत्तरी वजीरिस्तान में किया गया। इसमें आठ आतंकवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना के छह सैनिक भी मारे गए हैं।

उर्दू टाइम्स (25 फरवरी) के अनुसार बलूचिस्तान के बोलन क्षेत्र में क्वेटा-सिबी राजमार्ग को अवरुद्ध करने वाले दो सशस्त्र समूहों और

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच एक घंटे तक चली गोलीबारी में तीन आतंकवादी मारे गए। सिबी के पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों द्वारा क्वेटा-सिबी राजमार्ग को अवरुद्ध किए जाने के कारण तीन दिवसीय धार्मिक समागम के बाद सिबी से क्वेटा लौट रहे बड़ी संख्या में वाहन फंस गए। इसके बाद आतंकवादियों ने यात्रियों की जांच शुरू कर दी और कुछ लोगों को बंधक बना लिया। आतंकवादियों ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के विधायक मीर लियाकत अली लेहरी के वाहन को भी रोका और उनके सुरक्षाकर्मियों से हथियार छीन लिए। जब इसकी सूचना प्रशासन को मिली तो बंधकों को मुक्त करवाने के लिए सेना भेजी गई। दोनों ओर से एक घंटे तक चली गोलीबारी में कम-से-कम तीन आतंकवादी मारे गए। जबकि शेष आतंकवादी वहां से फरार हो गए। सेना ने बंधकों को मुक्त करा लिया है।

हिंदुस्तान (24 फरवरी) के अनुसार बलूच संगठन बलूच यकजेहती समिति ने घोषणा की है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूचिस्तान के आम लोगों के खिलाफ किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में पूरे राज्य में प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। समिति के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना चुन-चुनकर बलूच युवकों को गोलियों का निशाना बना रही है। प्रवक्ता ने कहा कि सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थानों पर रखा जाता है और बाद में उनके शव सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं। बलूच महिलाओं ने पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना भी दिया है।

पाकिस्तान से अफगानों का निष्कासन

सहाफत (17 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान सरकार 30 हजार अफगान नागरिकों को पाकिस्तान से निष्कासित करके उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजने की तैयार कर रही है। सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया है कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी अफगान नागरिकों के दस्तावेजों की जांच की जाए। इसके लिए सेना, पुलिस, फ्रंटियर फोर्स और गुप्तचर विभाग को संयुक्त अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि इस समय 30 लाख से अधिक अफगान नागरिक अवैध रूप से पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार के लिए इतने अधिक शरणार्थियों का बोझ उठाना संभव नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान सरकार ने चार महीने पहले भी अफगानिस्तान के अवैध घुसपैठियों को अपने देश से निष्कासित करने का अभियान छेड़ा था। इस अभियान के तहत चार लाख अफगानों को वापस अफगानिस्तान भेजा गया था। अफगानिस्तान सरकार ने यह आरोप लगाया था कि पाकिस्तान सरकार बदले की भावना से अफगान नागरिकों को अपना निशाना बना रही है। अफगान मूल के जिन नागरिकों को अवैध घुसपैठिया घोषित करके पाकिस्तान से

अफगानिस्तान की सीमा में धकेला गया है उनमें से अधिकांश पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे और वे पाकिस्तान के बाकायदा नागरिक हैं। गौरतलब है कि इससे पहले ईरान सरकार भी चार लाख से अधिक अफगान नागरिकों को घुसपैठिया करार देकर उन्हें अपने देश से निष्कासित कर चुकी है। समाचारपत्रों के अनुसार अफगानिस्तान पर रूसी कब्जे के बाद 50 लाख से अधिक अफगान नागरिक अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान चले गए थे। तब से वे पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान में रहने वाले अफगान नागरिक आतंकवादी गतिविधियों और तस्करी आदि में लिप्त हैं। शुरुआत में अमेरिका और अन्य विदेशी एजेंसियों ने इन अफगान शरणार्थियों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए पाकिस्तान सरकार को हथियार और आर्थिक सहायता दी थी। बाद में अमेरिका ने यह सहायता देनी बंद कर दी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कई दशकों से सीमा विवाद चल रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगान सरकार ब्रिटिश काल में दोनों देशों की सीमा रेखा 'डूरंड लाइन' को मान्यता दे चुकी है। जबकि अफगान सरकार का दावा है कि अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को सीमा रेखा के रूप में कभी मान्यता नहीं दी है। इसे अंग्रेजों ने जबरन अफगानिस्तान पर थोपा था। अफगान सरकार का दावा है कि उनका देश पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में उनके लिए पाकिस्तान से जबरन भेजे जाने वाले अफगान मूल के लोगों का आर्थिक बोझ उठाना संभव नहीं है। हाल ही में ट्रम्प प्रशासन ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बंद कर दी है। इससे अफगानिस्तान की स्थिति और भी बिगड़ गई है।

इंकलाब (17 फरवरी) के अनुसार अफगान विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद ने कहा है कि आठ हजार से नौ हजार अफगान नागरिक विभिन्न अफ्रीकी देशों की जेलों में बंद हैं। अफगानिस्तान सरकार उन्हें इन जेलों से मुक्त करवाकर वापस स्वदेश लाने का प्रयास कर रही है।

चट्टान (26 फरवरी) के अनुसार अमेरिका ने दो लाख अफगान नागरिकों को अपने देश में रहने की मंजूरी दी थी। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फिर से सत्ता में आने के बाद यह मामला खटाई में पड़ गया है। उल्लेखनीय है कि जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा था तो तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन ने यह घोषणा की थी कि जो अफगान नागरिक अमेरिका को सहयोग देते रहे हैं उन्हें अमेरिका की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस नीति के तहत अमेरिका में रह रहे पांच लाख से अधिक अफगान नागरिक अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन ट्रम्प प्रशासन की नीति में परिवर्तन के कारण उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। ताजा जानकारी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिका स्थित अफगान पुनर्वास विभाग को बंद कर दिया गया है।

उर्दू टाइम्स (22 फरवरी) के अनुसार अफगानिस्तान दुनिया के उन आठ देशों में शामिल है, जिसकी अर्थव्यवस्था अब तक अमेरिकी सहायता पर ही निर्भर थी। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के जरिए अफगानिस्तान को 35 प्रतिशत विदेशी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती रही है। इस सहायता के बंद होने से अफगानिस्तान को सात प्रतिशत आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। इस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने पिछले तीन सालों में अफगानिस्तान को तीन अरब डॉलर से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की है। 2021 में अमेरिका में अफगान सरकार के 9.5 अरब डॉलर जमा थे, जिसे अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने

फ्रीज कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी डॉलर की तुलना में अफगान करेंसी के मूल्य में 11 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र ने भी अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 17 प्रतिशत की कटौती कर दी है। इसके कारण पिछले दो महीनों में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 64 अफगानी से बढ़कर 71 अफगानी तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार इस समय अफगानिस्तान में बेरोजगारी दर 39.14 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान की स्थिति में और भी गिरावट आने की संभावना है।

अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने की संभावना

उर्दू टाइम्स (19 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी संसद में एक विधेयक पेश किया गया है। यह विधेयक राष्ट्रपति को धर्म के आधार पर यात्रा प्रतिबंध लगाने से रोकेगा। इस विधेयक को डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद जूडी चू ने पेश किया है। अगर यह विधेयक कानून का रूप ले लेता है तो यह राष्ट्रपति को धर्म के आधार पर यात्रा प्रतिबंध लगाने से रोकेगा व आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम को मजबूत करेगा। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ से ही अप्रवासियों के खिलाफ आक्रामक रहे हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पूरे अमेरिका में व्यापक पैमाने पर छापेमारी की है और कई लोगों को पकड़ा है। हजारों लोगों को अमेरिका से निर्वासित भी किया गया है।

एक अन्य विपक्षी सीनेटर क्रिस कूंस ने कहा है कि ट्रम्प के पहले शासनकाल में मुसलमानों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके कारण विश्व में अमेरिका की बहुत बदनामी हुई थी। इसके बावजूद ट्रम्प के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उन्होंने फिर से सत्ता में आते ही आप्रवासन नीति को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। यह अमेरिका के सेक्युलर सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। उल्लेखनीय है कि ट्रम्प ने शपथ लेते ही यह आदेश जारी किया था कि अमेरिका की आप्रवासन नीति में जो त्रुटियां हैं उन पर पुनर्विचार करके उसमें संशोधन किया जाए ताकि विदेशियों की अमेरिका में घुसपैठ को सख्ती से रोका जा सके। समाचारपत्र का दावा है कि अमेरिका में इस समय इस्लाम के खिलाफ जो दुर्भावना बढ़ रही है उसे देखते हुए ट्रम्प मुसलमानों को अपना निशाना बना सकते हैं।

सऊदी सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को रोजा इफ्तार करवाने की घोषणा

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (21 फरवरी) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने रमजान के महीने में रोजा रखने वाले 10 लाख से अधिक लोगों को रोजा इफ्तार करवाने की घोषणा की है। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री अब्दुल लतीफ अल-शेख ने घोषणा की है कि सऊदी सरकार रमजान के मुबारक महीने में 61 देशों के गरीब मुसलमानों को आर्थिक सहायता देगी। इस संबंध में इन देशों में स्थित सऊदी दूतावासों को धनराशि भेज दी गई है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (21 फरवरी) के अनुसार सऊदी सरकार ने रमजान के महीने में उमरा करने हेतु आने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था करने की घोषणा की है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। मक्का के डिप्टी गवर्नर प्रिंस मिशाल बिन अब्दुल अजीज को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस साल उमरा करने के लिए 50-70 लाख लोगों के सऊदी अरब आने की संभावना है। इन लोगों के लिए सफाई, चिकित्सा और नमाज का विशेष प्रबंध किया जा रहा है। उमरा हेतु आने वालों के लिए 200 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं और लगभग ढ़ाई सौ एंबुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। सऊदी सरकार ने यह फैसला किया है कि उमरा के दौरान किसी भी भिखारी को सऊदी अरब में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए पड़ोसी देशों से लगने वाली सभी सीमाओं को बंद कर दिया गया है। पुलिस को देशभर में भिखारियों के खिलाफ अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सऊदी मीडिया के अनुसार रमजान के मौके पर उमरा करने हेतु आने वाले लोगों से मोटी कमाई करने के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन और अन्य मुस्लिम देशों से भारी संख्या में भिखारी सऊदी अरब आते रहे हैं। इनके कारण कई गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। सरकार ने रमजान के मौके पर पर्यटन और व्यापार से संबंधित वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है ताकि उमरा करने हेतु आने वालों के लिए कोई समस्या न हो।

हिंदुस्तान (1 मार्च) के अनुसार इजरायल सरकार ने रमजान के महीने में मस्जिद अल-अक्सा में फिलिस्तीनियों के दाखिल होने पर

पाबंदी लगा दी है। सिर्फ 55 साल से अधिक उम्र के पुरुषों और 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मस्जिद परिसर में नमाज अदा करने हेतु दाखिल होने की अनुमति होगी। यरुशलम में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 10 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि हिंसा की घटना न हो। यहूदियों को मस्जिद अल-अक्सा परिसर में दाखिल होने की अनुमति होगी, लेकिन वे वहां पर उपासना नहीं कर सकेंगे। उन्हें मस्जिद के बाहर उपासना करने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि 2000 साल पहले यहूदियों के पवित्र स्थान हैकल-ए-सुलेमानी को रोमनों ने तबाह कर दिया था। बाद में मुसलमानों ने उस स्थान पर मस्जिद अल-अक्सा का निर्माण करवाया था और इसमें यहूदियों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इजरायल के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गाजा युद्धविराम समझौते के तहत जिन फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायली जेलों से रिहा किया गया है उन्हें भी मस्जिद अल-अक्सा में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो लोग मस्जिद अल-अक्सा में दाखिल होकर नमाज पढ़ना चाहते हैं उन्हें इसके लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी।

इंकलाब (2 मार्च) के अनुसार इजरायली प्रतिबंध के बावजूद मस्जिद अल-अक्सा के बाहर हजारों फिलिस्तीनियों ने रमजान-ए-मुबारक की पहली नमाज अदा की। इजरायली सेना ने उन्हें मस्जिद में दाखिल होने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मस्जिद के बाहर ही नमाज अदा की।

हसन नसरल्लाह को पांच महीने बाद दफनाया गया

उर्दू टाइम्स (24 फरवरी) के अनुसार इजरायल ने 27 सितंबर 2024 को दक्षिण बेरूत स्थित एक भवन पर बमबारी करके हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। उस पर हमले के लिए 85 टन बारूद का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद एक अन्य इजरायली हमले में हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी हाशेम सफीद्दीन भी मारा गया था। हिजबुल्लाह को यह डर था कि इजरायल इन दोनों हिजबुल्लाह नेताओं के शवों पर हमला कर सकता है, इसलिए इनके शवों को लेबनान में एक अज्ञात स्थान पर अस्थाई तौर पर दफन कर दिया गया था। अब इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हुए समझौते के बाद नसरल्लाह और सफीद्दीन को आधिकारिक तौर पर दफन कर दिया गया है। बेरूत के केमिली चामौन स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में इनके अंतिम संस्कार में लाखों लोगों ने भाग लिया।

इजरायल के रक्षा मंत्री ने पुष्टि की है कि किसी भी तरह की हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए इजरायल के सैन्य विमान बेरूत के ऊपर मंडरा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम यह स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि जो भी इजरायल को तबाह करने की धमकी देगा या हमारी भूमि पर हमला करेगा उसका हर हाल में सफाया कर दिया जाएगा और किसी भी हमलावर को बख्शा नहीं जाएगा।

अवधनामा (25 फरवरी) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि "हिजबुल्लाह के इन नेताओं की शहादत इस्लाम की सर-बुलंदी के लिए हुई है। हम फिलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जो यह समझते हैं कि हिजबुल्लाह के इन सेनापतियों की हत्या करके वे फिलिस्तीनियों के संघर्ष की कमर तोड़ देंगे वे कल्पना लोक में विचरण कर रहे हैं। हिजबुल्लाह न सिर्फ जिंदा है, बल्कि वह पहले से भी अधिक ताकतवर होकर उभरा है। जब तक आक्रांता इजरायल मौजूद है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।"

एक अन्य समाचार के अनुसार हिजबुल्लाह के प्रमुख शेख नईम कासिम ने कहा है कि "हसन नसरल्लाह ने इस्लाम के लिए शहादत दी है। हम उस लक्ष्य के लिए अंतिम क्षणों तक संघर्षशील रहेंगे, जिसके लिए नसरल्लाह और सफीद्दीन ने अपने प्राण गंवाए हैं। हम इजरायल और अमेरिका के मंसूबों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे।" नईम कासिम ने अरब देशों से अपील की कि वे फिलिस्तीनियों के संघर्ष के लिए मुसलमानों का साथ दें।

अवधनामा (24 फरवरी) के अनुसार यमन के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सेक्रेटरी यासिर अल-हावरी ने कहा है कि "हिजबुल्लाह के दोनों नेता इस्लाम और खुदा की राह में शहीद हुए हैं। उनकी शहादत से मिल्लत-ए-इस्लामिया में जागृति पैदा हुई है। दुनियाभर के मुसलमानों को यह अहसास हुआ है कि उनका दुश्मन कौन है। हर मुसलमान का यह फर्ज है कि वह जिहाद-ए-इस्लामिया में शामिल हो और इस्लाम के दुश्मनों का सफाया करे। हम इजरायल के खिलाफ तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा एक भी आदमी जिंदा है।" ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अपने एक संदेश में कहा है कि "हमारे दुश्मन जान लें कि हम कुर्बानियों से डरने वाले नहीं हैं। हम इजरायल के अतिक्रमण और अनाधिकृत कब्जे को खत्म करने तक संघर्षशील रहेंगे।"

एतेमाद (24 फरवरी) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि "हसन नसरल्लाह और हाशेम सफीद्दीन ने इजरायलियों को फिलिस्तीनी क्षेत्रों से बाहर निकालने के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज उनके अंतिम संस्कार में दुनियाभर के मुसलमान शामिल हुए हैं। यह इस बात का सबूत है कि हमारा संघर्ष जिंदा है। हिजबुल्लाह जिंदा है और हम हर कीमत पर इजरायल को खत्म करके ही दम लेंगे।" हमास के प्रवक्ता अब्दुल लतीफ अल-कानौ ने कहा है कि "उम्मत-ए-इस्लामिया हिजबुल्लाह के शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी।"

हमास द्वारा युद्धविराम वार्ता रद्द

इंकलाब (2 मार्च) के अनुसार हमास ने घोषणा की है कि वह गाजा में युद्धविराम समझौते की वार्ता में भाग नहीं लेगा। गौरतलब है कि 19 जनवरी 2025 को गाजा में युद्धविराम का जो समझौता हुआ था उसके तीन चरण थे। पहला चरण 42 दिनों का था, जो 1 मार्च को खत्म हो

गौरतलब है कि युद्धविराम का पहला चरण पूरा हो चुका है। इस दौरान इजरायल और हमास दोनों ने एक-दूसरे के बंधकों व कैदियों को मुक्त कर दिया है। इसके बाद सब की नजरें युद्धविराम के दूसरे चरण की वार्ता पर लगी हुई थीं। हमास ने घोषणा की है कि युद्धविराम के दूसरे चरण की वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। इसके बाद यह खतरा पैदा हो गया है। हमास के प्रवक्ता ने घोषणा की है कि हमास गाजा में युद्धविराम समझौते के विस्तार के बारे में इजरायल से कोई बातचीत नहीं करेगा। हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने आरोप लगाया है कि इजरायल के आक्रामक रूख को देखते हुए हमास ने युद्धविराम के दूसरे चरण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कासिम ने आरोप लगाया कि इजरायल अपने बंधकों की रिहाई के बाद गाजा में फिर से युद्ध शुरू करना चाहता है, इसलिए हम इस युद्धविराम में बढ़ोतरी करने के पक्ष में नहीं हैं। हमास के प्रवक्ता ने यह घोषणा अल अरेबिया टेलीविजन चैनल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान की। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल ने तयशुदा प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण में हमास ने 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया था, जिनमें 25 जीवित और आठ लोगों के शव थे। जबकि इजरायल ने 1700 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया और अब उसने दो हजार से अधिक फिलिस्तीनियों को रिहा करने से इंकार कर दिया है।

रोजनामा सहारा (2 मार्च) के अनुसार हूती नेता अब्दुल मलिक अल-हूती ने इजरायल को युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने घोषणा की है कि अगर गाजा में युद्धविराम के बारे में कोई बातचीत शुरू की गई तो हम उसका विरोध करेंगे। गौरतलब है कि इजरायल एक बार फिर से गाजा पर हमलों की शुरुआत कर सकता है। हूती नेता ने धमकी दी है कि अगर इजरायल ने गाजा में फिर से युद्ध शुरू किया तो हम इजरायल पर हमला करेंगे और उसका नामोनिशान मिटा देंगे।

दूसरी ओर, अमेरिका ने इजरायल को सैन्य उपकरण सप्लाई करने के नए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ताजा समाचारों के अनुसार अमेरिका ने इजरायल को तीन अरब डॉलर मूल्य के अत्याधुनिक हथियार देने की मंजूरी दी है। इन हथियारों में अत्याधुनिक टैंक, मिसाइल सिस्टम, बुलडोजर और अन्य उपरकण शामिल हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि ये उपकरण इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। इजरायल को अत्याधुनिक सैन्य टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना अमेरिका की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

उर्दू टाइम्स (24 फरवरी) के अनुसार हमास द्वारा इजरायली बंधकों की रिहाई को रोकने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली जेलों से 600 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के मामले को खटाई में डाल दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार हमास ने कैदियों की रिहाई के दौरान राजनीतिक दुष्प्रचार का सहारा लिया, इसलिए इजरायल सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को

स्थगित कर दिया है। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती तब तक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा। हमास ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में इजरायली रूकावट को गाजा में युद्धविराम समझौते का उल्लंघन बताया है। हमास ने कहा है कि इससे समझौते का अगला चरण खटाई में पड़ गया है। हमास ने आरोप लगाया है कि फिलिस्तीनी कैदियों को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। उनके हाथों में हथकडियां व पांवों में बेडियां पहनाई जाती हैं और आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें यह धमकी दी जाती है कि वे इस रिहाई पर जश्न न मनाएं।

उर्दू टाइम्स (26 फरवरी) के अनुसार हमास ने कहा है कि हम इजरायल को फिलिस्तीन की एक इंच भूमि पर भी कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे। फिलिस्तीनी कौम अपने देश की रक्षा हेतु हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमास ने कहा है कि इजरायल अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है और वह यरुशलम व वेस्ट बैंक को अवैध रूप से इजरायल में शामिल करने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त वह मुसलमानों के धार्मिक स्थानों की इस्लामी पहचान को मिटाने में जुटा हुआ है। इजरायल हथियारों के बल पर फिलिस्तीनियों को मस्जिदों में नमाज अदा करने से रोक रहा है।

उर्दू टाइम्स (28 फरवरी) के अनुसार हमास ने आरोप लगाया है कि इजरायल ने गाजा पट्टी में युद्धविराम का जो समझौता किया था उस पर वह पूरी तरह से अमल नहीं कर रहा है। हम युद्धविराम के दूसरे चरण की वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन इजरायली सरकार इस समझौते को कार्यान्वित नहीं कर रही है और इसमें रूकावटें डाल रही है। इजरायली जेलों में कैद फिलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं को रिहा नहीं किया जा रहा है। हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि जिन देशों ने मध्यस्थ बनकर गाजा में युद्धविराम समझौता करवाया था उनका अब यह फर्ज बनता है कि वे इजरायल पर दबाव डालकर इस समझौते को लागू करवाएं। हमास ने कहा है कि इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमास पर यह झूठा आरोप लगाया है कि हमास युद्धविराम का लाभ उठाकर इजरायली सेना और यहूदी बस्तियों पर हमला करने की योजना बना रहा है।

एतेमाद (18 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायल का इरादा गाजा में शांति बनाए रखने का नहीं है। वह किसी न किसी बहाने की आड़ लेकर युद्ध को फिर से शुरू करना चाहता है।

एतेमाद (27 फरवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि इजरायल वेस्ट बैंक के क्षेत्र को अपना हिस्सा बनाने का प्रयास कर रहा है। इस लक्ष्य से इस क्षेत्र में इजरायली टैंकों को तैनात किया गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि मध्यस्थ देशों को यह प्रयास करना चाहिए कि इजरायल उन क्षेत्रों को अपने देश में शामिल न कर पाए, जिन पर उसने 1967 के युद्ध में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था।

हिजबुल्लाह को मिलने वाली विदेशी सहायता जब्त

रोजनामा सहारा (2 मार्च) के अनुसार लेबनान के वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि तुर्किये से आने वाले एक यात्री से बेरूत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ढ़ाई मिलियन डॉलर की नकद धनराशि जब्त की गई है। हिरासत में लिए गए यात्री ने यह स्वीकार किया है कि उसे इस धनराशि को हिजबुल्लाह तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। लेबनान सरकार ने कहा है कि यह पहला अवसर है जब विदेशी स्रोतों से हिजबुल्लाह को भेजी जाने वाली नकद धनराशि जब्त की गई है। हिजबुल्लाह ने अभी तक इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

इजरायल के दबाव पर लेबनान सरकार बेरूत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेशों से आने वाले विमानों और उनमें सवार यात्रियों की कड़ी निगरानी कर रही है। 18 फरवरी को इजरायल के विदेश मंत्री ने तुर्किये पर आरोप लगाया था कि वह हिजबुल्लाह को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए ईरान को सहयोग दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि ईरान हिजबुल्लाह को लेबनान में पुनः सत्ता में लाने का प्रयास कर रहा है। उसने इस संबंध में तुर्किये से सहायता मांगी थी। इसके बाद से तुर्किये हिजबुल्लाह को गुप्त रूप से भारी आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए ईरान को सहयोग दे रहा है।

ईरान के वित्त मंत्री बर्खास्त

रोजनामा सहारा (3 मार्च) के अनुसार ईरान में बढ़ती महंगाई और विदेशी बाजार में ईरानी मुद्रा के अवमूल्यन को देखते हुए ईरान के वित्त मंत्री अब्दुल नासिर हेममती को बर्खास्त कर दिया गया है। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार ईरानी संसद में वित्त मंत्री पर महाभियोग लगाकर उन्हें उनके पद से हटाया गया है। 273 सांसदों में से 182 ने अब्दुल नासिर को बर्खास्त करने के पक्ष में मतदान किया। सरकारी सूत्रों ने यह पुष्टि की है कि अमेरिकी डॉलर की तुलना में ईरानी मुद्रा की कीमत तेजी से घट रही है। ताजा जानकारी के अनुसार इस समय विदेश बाजार में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत नौ लाख 30 हजार ईरानी रियाल है। जबकि 2024 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत छह लाख रियाल थी।

विदेशी बाजार में ईरानी मुद्रा के तेजी से हो रहे अवमूल्यन का मामला ईरानी संसद में उठाया गया था। तब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने वित्त मंत्री का समर्थन करते हुए कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति के लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अर्थव्यवस्था का संबंध पूरे राष्ट्र से होता है। पेजेश्कियान ने अपने वित्त मंत्री को उनके पद से हटाने से इंकार कर दिया था। जबकि ईरानी सांसदों का आरोप था कि वित्त मंत्री की आर्थिक नीतियों के कारण विदेशी बाजार में ईरानी मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन हो रहा है।

एक वरिष्ठ ईरानी सांसद रुहोल्लाह मोटेफाकर आजाद ने कई अन्य सांसदों के साथ एक संयुक्त वक्तव्य में कहा है कि अब ईरानी जनता देश में बढ़ती हुई महंगाई को सहन करने की स्थिति में नहीं है। हाल ही में खाद्य पदार्थों के मूल्य में जो भारी वृद्धि हुई है उससे ईरानी जनता की कमर टूट गई है। एक अन्य महिला सांसद फातिमेह मोहम्मद बेगी ने कहा है कि अब हमारे देश की जनता के पास दवाईयां खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए वे इलाज न होने के कारण बेमौत मर रहे हैं। गौरतलब है कि मसूद पेजेश्कियान ने पिछले साल जुलाई महीने में राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, लेकिन वे अपने इस आश्वासन को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। उनके सत्ता में आने के बाद ईरानी रियाल की कीमत लगातार गिरती जा रही है और देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ईरानी अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने में विफल रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ सांसदों की नाराजगी बढ़ रही है। यही कारण है कि ईरानी संसद में वित्त मंत्री अब्दुल नासिर पर लगाया गया महाभियोग भारी बहुमत से पास हो गया है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

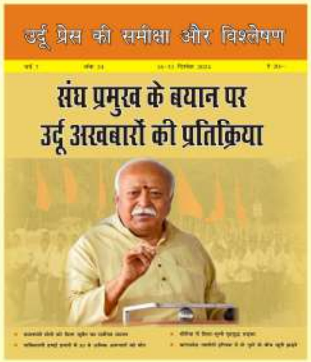

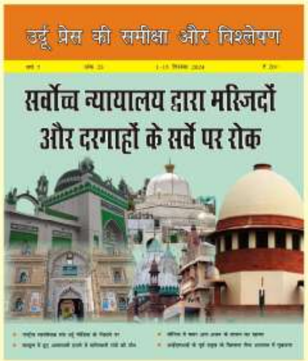

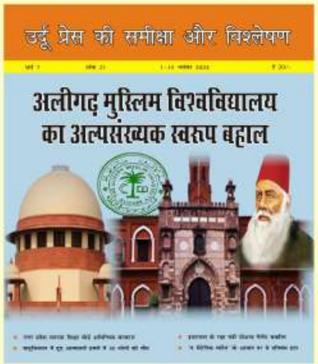

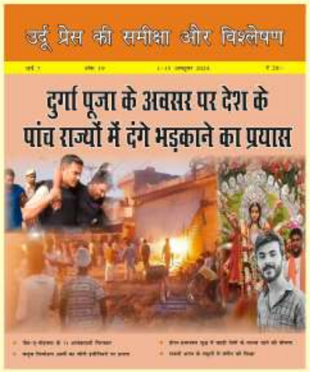

भारत नीति प्रतिष्ठान

India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016

दूरभाष : 011-26524018

ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com

वेबसाइट : www.ipf.org.in